

राजस्थान-सरकार  
राजस्व (गुप-1) विभाग

क्रमांक: प. 9(23)राज-1/2014

जयपुर, दिनांक : 28.11.2014

—: अधिसूचना :-

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम संख्या-15) की धारा 16, के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य सरकार एतद्वारा निर्देश देती है कि जिला सवाई माधोपुर की तहसील बामनवास/मलारना झूंगर के मूल राजस्व ग्राम से लगती हुई, नीचे दी गई सारणी के कॉलम संख्या-6 में अंकित मजसों/ढाणियों को एतदप्रश्चात् राजस्व ग्राम के रूप में माना जाकर अभिलेखित किया जावेगा एवं इनका वर्तमान क्षेत्रफल मूल राजस्व ग्राम की कुल देह में से कम होकर कालम संख्या-8 के अनुसार होगा :-

क्र. सं.	जिला/ तहसील	मूल राजस्व ग्राम का नाम	मूल राजस्व ग्राम की जनसंख्या/क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)		प्रस्तावित नवीन राजस्व ग्राम का नाम	प्रस्तावित नवीन राजस्व ग्राम की जनसंख्या/क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)		दूसी कि.मी. में	मूल राजस्व ग्राम का शेष रक़ा क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)
			जन संख्या	क्षेत्रफल		जन संख्या	क्षेत्रफल		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	सवाई माधोपुर / बामनवास	डाबर	2391	476.34	ताजपुरा कलां	400	177.43	3.0	298.91
2	सवाई माधोपुर / मलारना झूंगर	सांकड़ा	1983	1100.42	हरिरामपुरा	410	247.49	4.0	852.93

नवीन राजस्व ग्रामों के गठन से प्रभावित उपरोक्त मूल एवं नवीन राजस्व ग्रामों के अभिलेखों के अलग-अलग संधारण हेतु उक्त अधिनियम की धारा 107 के अन्तर्गत मूल राजस्व ग्रामों/नवीन राजस्व ग्रामों की पृथक-पृथक जमाबन्दी, खसरा नम्बर एवं नक्शों/अभिलेखों के परिशिष्टन कार्य के लिये जिला कलक्टर, सवाई माधोपुर को अधिकृत किया जाकर कार्य निष्पादन की सूचना से राज्य सरकार को सूचित करने हेतु निर्देशित किया जाता है।

आज्ञा से,

Tajpur

HariramPura

(दिनेश चन्द जैन)  
संयुक्त अधीक्षक सचिव

कृ०प०उ०.....

Received from  
Secretariat